

707
...
...

...

703
...

1925

...

...

12-08-2014

गौरीपुरी इलाहाबाद का प्रारोपसोसगर इलाका

उन्हें ग्राह्यता पर सुना ।

2- प्रकरण का आवलोकन किया गया । समय बाह्य आधार पर रिव्यु की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 21-8-2012 से अमान्य की गई जिसके विरुद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है ।

3- गहरीलदार का आदेश जिसके विरुद्ध आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई थी अपील योग्य आदेश है अतः आवेदक को चाहिये कि वह सक्षम न्यायालय में अपील पेश करे । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्रह्य की जाती है ।

प्रशासकीय सदस्य